भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3549
10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लक्ष्य और उद्देश्य

3549. श्री अनुराग शर्मा:
श्री रेबती त्रिपुरा:
श्री विजय कुमार दुबे:
श्री उदय प्रताप सिंह:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारी समितियों के विकास के लिए कार्य कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों के विकास के लिए कौन-से कार्य किए जा रहे हैं तथा इसके माध्यम से किसान किस प्रकार लाभान्वित होंगे तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में एनसीडीसी की स्थापना के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;
(घ) क्या सरकार सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु एनसीडीसी के माध्यम से योजनाएं कार्यान्वित कर रही है तथा यदि हां, तो उत्तर-प्रदेश, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ड.) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा आबंटित/स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है; और
(च) विशेष रूप से उत्तर-प्रदेश, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा कर्नाटक में सहकारिता शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जहा रहे हैं?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हाँ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, कतिपय अन्य वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों के नियोजन और संवर्धन, और सहकारिता सिद्धांतों पर सेवाओं तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध किए गए हैं।

एनसीडीसी गतिविधियां उन किसानों की भी सहायता करती हैं जो सहकारी समितियों के सदस्य हैं। एनसीडीसी केवल सहकारी समितियों की सहायता करती है।

एनसीडीसी ने 30.06.2021 तक सहकारी समितियों को 1.86 लाख करोड़ रुपये की संचयी वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से, 1.31 लाख करोड़ रुपये पिछले सात वर्षों में (2014-15 से) संवितरित किए गए हैं जो 1963-2014 की अवधि की तुलना में 286% की वृद्धि को दर्शाता है।

एनसीडीसी की वित्त योजनाओं में कृषि-प्रसंस्करण, बागवानी-प्रसंस्करण, ऋण, आदान, कम्प्यूटरीकरण, भंडारण, कोल्ड चेन, कपड़ा, हथकरघा, चीनी, इथैनॉल, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुधन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, महिला सहकारी समितियां, पशु देखभाल/स्वास्थ्य आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

अपने सहकार-22 पहलों के तहत, एनसीडीसी ने पिछले दो वर्षों में 10000 से अधिक प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों तक पहुंच बनाई है।

युवाओं को सहकारी समितियों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए, एनसीडीसी ने अपनी युवा सहकार- सहकारिता उद्यम सहायता और नवाचार योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में स्टार्ट-अप को सक्षम बनाना है।

अपने सहकार मित्र योजना के तहत, एनसीडीसी छात्रों को एनसीडीसी के कामकाज के क्षेत्रों और सहकारी समितियों से संबंधित पहलुओं में अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करता है।

भारत सरकार की योजनाएं जैसे 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन, नई सहकारी समितियों के एफपीओ के रूप में पंजीकरण और सहायता का प्रावधान करती हैं। एनसीडीसी ऐसे एफपीओ को बढ़ावा देने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछली पालक किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन और संवर्धन, नई सहकारी समितियों के एफएफपीओ के रूप में पंजीकरण और सहायता का प्रावधान करता है। एनसीडीसी ऐसे एफएफपीओ को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है।

(घ): "समेकित कृषि सहयोग केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएसआईएसएसी)" सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रमों में सहायता के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एनसीडीसी उस योजना का संचालन करता है जहां एनसीडीसी द्वारा अपने संसाधनों से ऋण दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा राजसहायता प्रदान की जाती। उत्तर प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र और कर्नाटक सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीएसआईएसएसी योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में संवितरित राजसहायता **अनुबंध-I** में है।

(ड.): योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए आवंटित/स्वीकृत सब्सिडी का विवरण **अनुबंध-II** में है।

(च): सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर की संस्था सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए भी सहकारिता प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं के आयोजन, निर्देशन, निगरानी और मूल्यांकन कर रही है। वे सहकारी समितियों के लिए और मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये गतिविधियां देश भर में राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य स्तर पर 20 संस्थानों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

लो.स.अता.प्र.स.-3549

अनुबंध-I

सीएसआईएसएसी योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता का वितरण

करोड़ रुपए में

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (31.07.2021 तक)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.70	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	4.34	5.31	28.93	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	1.14	1.69	1.44	0.00
4	असम	2.92	3.98	1.55	0.00
5	बिहार	15.29	9.13	22.32	0.00
6	छत्तीसगढ़	0.04	0.35	0.00	0.00
7	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गोवा	0.00	0.02	0.04	0.00
9	गुजरात	21.64	10.03	5.85	0.02
10	हरियाणा	0.12	0.16	0.09	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	17.39	2.42	6.45	0.00
12	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
13	झारखंड	0.83	4.83	0.70	0.00
14	कर्नाटक	0.71	2.52	0.34	0.00
15	केरल	1.76	3.99	7.98	0.00
16	मध्य प्रदेश	8.76	5.21	6.30	0.00
17	महाराष्ट्र	1.10	10.37	55.29	0.03
18	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मेघालय	13.47	0.00	13.46	0.00
20	मिजोरम	0.00	0.00	0.61	0.23

21	नगालैंड	3.99	3.88	1.79	0.00
22	राष्ट्रीय फेड./एमएससीएस	0.00	1.06	0.00	0.00
23	ओडिशा	0.32	0.37	0.16	0.00
24	अन्य	0.20	1.07	0.27	0.00
25	पंजाब	4.11	0.00	0.00	0.00
26	राजस्थान	6.47	8.03	25.72	0.00
27	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
28	तमिल नाडु	0.00	3.01	4.60	0.36
29	तेलंगाना	11.48	15.13	54.77	0.00
30	त्रिपुरा	0.00	0.00	2.01	0.00
31	उत्तर प्रदेश	2.37	4.40	8.80	0.52
32	उत्तराखंड	0.83	8.03	17.12	0.00
33	पश्चिम बंगाल	6.32	12.43	36.83	0.00
	अखिल भारत	**125.59**	**118.13**	**303.42**	**1.16**

लो.स.अता.प्र.स.-3549

अनुबंध - II

सीएसआईएसएसी योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में आवंटित/स्वीकृत राजसहायता का विवरण

करोड़ रुपए में

वर्ष	**आवंटित/स्वीकृत राजसहायता**
2018-19	125.60
2019-20	118.13
2020-21	311.39
2021-22	313.08

*****